न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्याः—03/2012

अपीलांट :—

1. खम्मादेवी पुत्री मानसिंह
2. शांतिदेवी पुत्री मानसिंह

   जाति पुरोहित निवासी करमावास तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1. रूपसिंह पुत्र मानसिंह जाति पुरोहित निवासी करमावास तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
2. मेती पुत्री मानसिंह जाति पुरोहित निवासी करमावास के कायम मुकामः—

   2/1 पुखराज पुत्र हीरसिंह

   2/2 भीमसिंह पुत्र हीरसिंह

   2/3 कानसिंह पुत्र हीरसिंह

   2/4 फुसादेवी पुत्री हीरसिंह

   2/5 मीरोदेवी पुत्री हीरसिंह

   2/6 खम्मादेवी पुत्री हीरसिंह

   जाति पुरोहित निवासी मजल तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
3. भूरीदेवी पुत्री मानसिंह
4. अणसीदेवी पुत्री मानसिंह
5. हस्तुदेवी पुत्री मानसिंह
6. कमलादेवी पुत्री मानसिंह
7. चम्पादेवी पुत्री आईदानसिंह
8. राणसिंह पुत्र सवाराम
9. नेमसिंह पुत्र सवाराम
10. दुर्गसिंह पुत्र धुकाराम
11. अर्जुनसिंह पुत्र धुकाराम
12. आईदानसिंह पुत्र धुकाराम
13. पुखराज पुत्र धुकाराम

    जाति पुरोहित निवासी करमावास तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
14. सरपंच, ग्राम पंचायत करमावास पंचायत समिति समदड़ी
15. तहसीलदार समदड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.03.05 17:48:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1 श्री गजेसिंह वकील अपीलांट्स
2 श्री उम्मेदसिंह चम्पावत रेस्पो. संख्या 2 के वारिस तथा 1, 3 से 6
3 श्री नरपतसिंह भाटी रेस्पो. संख्या 7 व 10 से 13

–:: आदेश ::– दिनांक :–22.02.2024

अपीलांट्स ने यह अपील ग्राम करमावास तहसील समदड़ी के नामान्तरकरण संख्या 964 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत करमावास के आदेश दिनांक 06.08.1998 से असंतुष्ठ होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब से होना, अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब की वजह बताते हुए अपील के संलग्न धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करमावास के खसरा संख्या 165 व 166 कुल रकबा 118.01 बीघा भूमि के सहखातेदार मानाराम उर्फ मानसिंह वल्द किशनाराम के फौत होने पर उसके वारिस अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 एवं पत्नी मथरादेवी होने के बावजूद हल्का पटवारी करमावास ने नामान्तरकरण संख्या 964 केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रूपसिंह एवं मृतक की पत्नी मथरादेवी के नाम से दायर किया। निरीक्षक भू. अभिलेख राखी ने बगैर वारिसान की जॉच किये नामान्तरकरण का अंकन सत्यापित किया और सरपंच ग्राम पंचायत करमावास ने बिना मानसिंह के वारिसान की जॉच किये तथा उन्हें सुनवाई का विधि सम्मत अवसर दिये जरिये प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 06.08.1998 यथाप्रस्तावित उक्त नामान्तरकरण पारित कर दिया, जिससे मुतवफी मानसिंह की पुत्रियॉ–अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 अपने जायज वारिसाना हकों से महरूम हो गई। अतः अपीलान्ट्स ने ग्राम करमावास के नामान्तरकरण संख्या 964 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत करमावास के आदेश दिनांक 06.08.1998 निरस्त करवाते हुए मानाराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर उसके समस्त विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण पारित करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील अपीलान्ट्स [illegible] हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये सम्मन रेस्पोडेन्ट्स की [illegible] की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के वारिस एवं 1,3 से 7 एवं 10 से 13 की ओर से उनके वकील उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 एवं 10 से 12 की ओर से उनके वकील श्री नरपतसिंह ने इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आपस में सगे भाई बहिन है और दुरभिसंधि कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 चम्पादेवी को जमीन बेचने के बाद यह अपील प्रस्तुत की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील, जो कि समरी प्रोसीडिंग होती है,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.03.05 17:48:03 IST
Reason: SelfAttested

के जरिये किसी के खातेदारी हकों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 चम्पादेवी जरिये रजिस्टर्ड बेचान भूमि क्रय कर खातेदार बनी है और उक्त बेचान की वैधता को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है, समरी प्रोसीडिंग के जरिये विधिसम्मत रूप से निष्पादित बेचान को निरस्त नहीं किया जा सकता। बेचान निष्पादित हुए करीब 14 साल की अवधि व्यतीत होने के बावजूद अक्षम्य विलम्ब से और बिना विलम्ब का युक्तियुक्त कारण बताये यह अपील प्रस्तुत की है, जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से काबिज खारिज है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन भूमि में हुए अन्य बेचानों के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण भी अपील काबिज खारिज है। अतः अपील अपीलांट्स मय खर्चा खारिज की जावे।

वकील अपीलान्ट्स ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं उक्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 70 प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट्स की बहस है कि अपीलांट्स जाति से पुरोहित होने से हिन्दु विधि से शासित होती है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी मृत हिन्दु निर्वसीयती की सम्पति में उसकी समस्त औलादों एवं पत्नी का बहिस्सा बराबर हक होता है और इनमें किसी को भी उसके हकों से महरूम नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 मानसिंह की पुत्रियॉ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उसका पुत्र एवं श्रीमती मथरादेवी की, जो फौत हो चुकी है और मानसिंह के शेष समस्त वारिस ही उसके वारिस है, उसकी पत्नी होने से प्रत्येक का मानसिंह की भूमि में बहिस्सा बराबर हक है। सरपंच ग्राम पंचायत करमावास ने केवल मानसिंह की पत्नी एवं पुत्र के नाम से नामान्तरकरण पारित कर विधिक भूल की है, जो प्रारंभतः शून्य है। मानसिंह की अपीलान्ट्स एवं अन्य पुत्रियां भी प्रथम सूची की वारिस है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अपीलान्ट्स सहित मानसिंह की समस्त पुत्रियॉ–एक मृत पुत्री के वारिसान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से मानसिंह के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण पारित किया जावे।

जबकि वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 7 एवं 10 से 12 ने अपनी बहस में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए तथा अपील को म्याद बाहर एवं अविधिसम्मत होना बताते हुए अपील मय खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने दोनो पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 मृतकर्ता मानसिंह की पुत्रियॉ एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उसका पुत्र है तथा श्रीमती मथरादेवी, जो फौत हो चुकी है और अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से 6 जिसके वारिस है, मानसिंह की पत्नी थी। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि पक्षकार जाति से पुरोहित होने से हिन्दु विधि से शासित होते हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची अनुसार मृत हिन्दु निर्वसीयती के समस्त पुत्र–पुत्रियॉ एवं पत्नी उसके

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.03.05 17:48:03 IST
Reason: SelfAttested

जायज एवं बहिस्सा बराबर वारिस होते हैं। रिकार्ड के गलत अंकन के आधार पर अपने वास्तविक हक से अधिक भूमि के किये गये बेचान की कोई विधिक मान्यता नहीं होती और वह प्रारंभतः शून्य होता है। जहां तक म्याद का प्रश्न है, ऐसे किसी बेचान को, जो प्रारंभतः शून्य हो, चुनौती देने के लिए कोई म्याद नहीं होती और उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के वारिस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 मुतवफी मानसिंह के जायज व विधिसम्मत वारिस है और उनमें से किसी को भी उसके जायज हकों से वंचित नहीं किया जा सकता।

लिहाजा अपील अपीलान्ट्स अन्दर म्याद शुमार कर ग्राम करमावास के नामान्तरकरण संख्या 964 पर पारित सरपंच ग्राम करमावास के आदेश दिनांक 06.08.1998 अपास्त किये जाते है। ग्राम करमावास के खसरा संख्या 165 व 166 कुल रकबा 118.01 बीघा भूमि का शेष 2/3 हिस्सा अप्रभावित रखते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार समदड़ी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त भूमि में मानाराम उर्फ मानसिंह पुत्र किशनाराम के स्थान पर उसके समस्त वारिसान की हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जॉच कर उनके नाम नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 22.02.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.03.05 17:48:03 IST
Reason: SelfAttested